Concern over closure of District Agro-Meteorological Units

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, District Agro-Meteorological Units (DAMUs), established in 2018, offer farmers free localized weather forecasts and agricultural advisories, helping them to make informed decisions on agricultural activities like sowing, fertilizer use, harvesting, and crop storage, thereby reducing crop losses and improving yields and income. It is understood that there are proposals to close down 199 DAMUs, including those shut in March 2024, and to privatise these services due to rising costs as automated electronic communication is favoured over employing personnel at agro-met units.

DAMUs, in collaboration with Krishi Vigyan Kendras, have provided invaluable training to farmers on agricultural practices and climate-resilient seed varieties. Block-level weather advisory services and forecasts through SMS, *WhatsApp*, electronic and print media have helped farmers manage daily weather changes and extreme events. These advisories have also provided crop and location-specific guidance, extreme weather warnings, and best practices for various farming sectors, including beekeeping, livestock, poultry, pig and fish farming.

A 2020 National Council of Applied Economic Research study showed that 98 per cent of surveyed farmers adapted their practices based on weather advisories, leading to economic benefits. The closure of DAMUs will affect food security, agricultural productivity and farmers' livelihoods. While the Government may feel that automated systems can replace human involvement, the unique value added by agro-met staff through localized and personalized advisories cannot be overlooked. Therefore, I urge the Government to retain the localized agro-met services to strengthen the agricultural economy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Dr. Fauzia Khan: Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri P.P. Suneer (Kerala).

Demand for changes in Ayushman Bharat Scheme

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है 'आयुष्मान भारत योजना', जिसके अंतर्गत अभी तक 55 करोड़ नागरिकों और 12.34 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इस योजना से "स्वस्थ भारत, समर्थ भारत" को बढ़ावा मिल रहा है। 'आयुष्मान भारत योजना' दुनिया की सबसे बड़ी Centrally sponsored scheme है, जो अमेरिका में शुरू की गई 'ओबामा केयर' से भी बड़ी योजना है। इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य आश्वासन मिलता है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है एवं पूरे देश में पोर्टेबल भी है। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परिवार के आकार या उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इसमें योजना पात्र लाभार्थियों की संख्या 2011 के 'Socio Economic Caste Census (SECC) के आधार पर तय की जाती है तथा इस योजना का पंजीकरण स्वत: ही राशन कार्ड के आधार पर होता है। यह census का data पुराना होने के कारण इस योजना से अभी भी कई गरीब परिवार वंचित रह गए हैं, क्योंकि जब भी वे कार्ड बनवाने जाते हैं, तो SECC में नाम न होने के कारण उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जाता है।

अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ की इस योजना से छूटे हुए या वंचित गरीब लोगों को इस योजना में शामिल करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या नहीं बन पाए हैं और वे पात्र भी हैं, उनको भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रावधान किए जाएँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), associated herself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Sanjay Seth.

5.00 P.M.

Demand for a comprehensive program to create awareness about food adulteration

श्री संजय यादव (बिहार): खाद्य उत्पादकों, खाद्य विक्रेताओं, आम नागरिकों, खाद्य निर्माताओं और खाद्य कंपनियों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट से उनके स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। साथ ही, खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को भी कड़े कानूनों और निरंतर पर्यवेक्षण से रोका जाना चाहिए, ताकि वे खाद्य पदार्थों को रसायनों, हानिकारक लवणों, योजकों, अत्यधिक चीनी और चमक देने वाले रसायनों एवं परिरक्षकों से भरने के बारे में दो बार सोचें।

खाद्य उत्पादों के स्वाद, रूप, बिक्री और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए इन रसायनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियाँ होती है। हम अपनी मेजों और प्लेटों में आने वाले प्रत्येक खाद्य उत्पाद में मिलावट के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते। देश भर